

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 2(4) शिक्षा-2/2017

जयपुर, दिनांक : 16/10/2017

:: आदेश ::

उप निदेशक एवं समकक्ष पद पर वर्ष 2017-18 की विभागीय पदोन्नति हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के नियम-24(2)(ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 20.04.2017 को आयोजित बैठक की सिफारिशों के आधार पर समिति की आगामी वर्ष की बैठक होने तक उप निदेशक एवं समकक्ष पद की होने वाली सम्भावित रिक्तियों को भरने के लिए पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण सूची (Review and Revision List) के अधीन शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को आवश्यक एवं अस्थाई आधार पर पदोन्नत कर, उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी श्री/सुश्री/श्रीमती	पदनाम	प्रस्तावित पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
01	प्रकाश चन्द जाटोलिया	जि०शि०अ० निदेशालय प्रा०शि०, बीकानेर	उप निदेशक (प्रशासन) मा० शिक्षा, बीकानेर	श्रीमती अन्नपूर्णा त्यागी की से. नि. से रिक्त पद पर
02	शिव प्रसाद	जि०शि०अ० प्रा०शि०-आ, नागौर	उप निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर	श्री रमेशचन्द जैन की से.नि. से रिक्त पद पर
03	श्याम सुन्दर सौलकी	जि०शि०अ० माध्यमिक विधि, जोधपुर	उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर	श्री सुभाष शर्मा के स्थान पर
04	मोहन लाल स्वामी	प्रधानाचार्य, डाईट, श्रीगंगानगर	उप निदेशक, स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर	रिक्त पद पर
05	शाहीद मोहम्मद खान	जि०शि०अ० प्रा०शि० धौलपुर	उप निदेशक, जनजातिय एवं क्षेत्रीय विकास, उदयपुर	श्री कैलाश चन्द जोशी की से. नि. से रिक्त पद पर
06	मनमोहन शर्मा	जि०शि०अ० माध्यमिक, टोंक	उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर	श्री शिवजी गौड के स्थान पर
07	मधुसुदन व्यास	जि०शि०अ० माध्यमिक-आ, उदयपुर	उप निदेशक, एस.आई. ई.आर.टी, उदयपुर	श्री सुरेशचन्द व्यास की से.नि. से रिक्त पद पर
08	पांचु राम सैनी	जि०शि०अ० माध्यमिक, बांरा	उप निदेशक, सीमेट, गोनेर	रिक्त पद पर

उपरोक्त अधिकारी अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ सन्तान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न कर भिजवायें। उक्त अधिकारियों के दिनांक 01.06.2002 एवं तत्पश्चात् तीसरी सन्तान उत्पन्न होने की स्थिति में उक्त आदेश उस पर प्रभावी नहीं होंगे। उक्त अधिकारियों द्वारा 15 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में पदोन्नति परित्याग समझा जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कमलेश आबुसरिया)
सहायक उप सचिव

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :प. 2(4) शिक्षा-2/2017

जयपुर, दिनांक : 16/10/2017

:: आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों का ~~पदस्थापन~~ पदस्थापन/स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित शिक्षा उप निदेशक एवं समकक्ष पद पर किया जाता है:-

क.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	दि.दि.
1	श्री शिवजी गौड	उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर	उप निदेशक, प्रा०शिक्षा, उदयपुर	श्री जयनारायण द्विवेदी की से.नि से रिक्त पद पर
2	श्री सुभाष शर्मा	उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर	उप निदेशक, स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर	रिक्त पद पर

अतः उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिपोर्ट जरिये फ़ैक्स/ई-मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

राज्यपाल की आज्ञा से
(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
7. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (रमसा), जयपुर/राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एनएसए), जयपुर
9. निदेशक, सीमेट, गानेर, जयपुर
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
11. सचिव, स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
12. निदेशक, एस आई ई आर टी, उदयपुर।
13. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा.....
14. संबंधित अधिकारी/कार्यालय.....
15. रक्षित पत्रावली।

(रामेश्वर लाल जाट)
अनुभागाधिकारी